

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठसीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 475/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/732

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

तेजाराम पुत्र जोगाराम

जाति राईका निवासी गोलिया

वाया बिदूजा तहसील पचपदरा

1. चम्पालाल पुत्र सवाराम

जाति मेगवाल निवासी समदड़ी

तहसील समदड़ी जिला बालोतरा

2. भोमाराम पुत्र अमनाराम

जाति मेगवाल निवासी राजपूतो की

ढाणी, चान्दराई

3. गिरधारीराम पुत्र तुलछाराम

4. गीलाराम पुत्र मांगाराम

5. तीजो पत्नि तुलछाराम

6. दौलाराम पुत्र मांगाराम

7. पुखराज पुत्र मांगाराम

8. भंवराराम पुत्र गोबरराम

9. सांवलराम पुत्र तुलछाराम

10. किरताराम पुत्र जोगाराम

जाति राईका निवासी गोलिया

11. सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत
बालोतरा

12. राजस्थान सरकार जरिए

तहसीलदार पचपदरा



राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति-

1. श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री भगवतसिंह राठौड़ अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 3 से 10
3. विप्रार्थी संख्या 1,2 व 11,12 एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 27/04/2026

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

1.संक्षिप्त में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम गोलिया तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 734/340 क्षेत्रफल 2.4270 हैक्टेयर, भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढे को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थी द्वारा ग्राम गोलिया तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 734/340 क्षेत्रफल 2.4270 हैक्टेयर,भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री भगवतसिंह राठौड़ द्वारा विप्रार्थी संख्या 3 से 10 की ओर से वकालतनामा मय जवाब पेश किया गया था,जो शामिल पत्रावली है। विप्रार्थी संख्या 1,2 व 11,12 को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण उक्त विप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमने उभय पक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम गोलिया तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 734/340 क्षेत्रफल 2.4270 हैक्टेयर, भूमि अवस्थित है।

जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढे को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढे को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है।

सपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम गोलिया तहसील पंचपदरा की खेत खसरा संख्या 734/340 क्षेत्रफल 2.4270 हैक्टेयर, भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावें।

4. विप्रार्थी संख्या 3 से 10 अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी की ओर से मनगढन्त तथ्यो के आधार पर आवेदन पत्र पेश किया गया है, जो चलने योग्य नहीं है। क्योंकि प्रार्थी व विप्रार्थी की खातेदारी भूमि की सीमाओ को लेकर कोई विवाद नहीं है, मौके पर पुरानी माटे कायम है। विप्रार्थी की ओर से प्रार्थी की खातेदारी भूमि में कमी भी दंखलदान्जी नहीं की गई है, जबकि प्रार्थी आए दिन सीमाओ को लेकर विप्रार्थी पक्ष से विवाद करते रहते हैं। प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर आवेदन पेश किए जाने के कारण प्रार्थी का आवेदन खारिज किया जावे।

5. हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम गोलिया तहसील पंचपदरा की खेत खसरा संख्या 734/340 क्षेत्रफल 2.4270 हैक्टेयर, भूमि प्रार्थी खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत् 2079-2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्ड खातेदार है, और रिकार्ड खातेदार होने के कारण विवादित भूमि की सीमाओ को लेकर सेढा पड़ौसीयो में सीमा विवाद होना बताकर विवादित भूमि की नेखमबन्दी करवाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. का उल्लेख करना उचित समझते हैं, जिसके अनुसार :- धारा 128 सीमा विवाद-सम्बन्धी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेंगे:

(परन्तु खेतों के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन-पत्र, जहां यद्यपि ऐसी सीमा के विषय में कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठने की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेंगे तथा उसी के द्वारा निपटये जायेंगे)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है, कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादों का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक

रूपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

28.5.2025 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है, अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना-पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

--:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन-पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम गोलिया तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 734/340 क्षेत्रफल 2.4270 हैक्टेयर, भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए विधिनुसार पैमाईश कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है।



(अशोक कुमार)

उपखण्ड अधिकारी

बालोतरा

आदेश आज दिनांक 27.04.2026 लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

बालोतरा